<u>न्यायालय प्रथम सिविल जज (जू0डि0) , कासगंज।</u>

मूल वाद संख्या 228/2022

CNR NO UPKR06000713-2022

<u>अजय पाल बनाम वीरेन्द्र आदि</u>

<u>दिनॉक : 19.08.2025</u>

वाद पुकारा। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते अन्तिम अवसर लंच उपरान्त पेश हो।

प्रथम सिविल जज (जू0डि0),
कासगंज।

लंच उपरान्त–

पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हुई। बार बार पुकार कराये जाने पर भी वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में वादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं। बावजूद इसके, वादी को उपस्थित होने हेतु पूर्व में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी अनुपस्थित है और न ही वादी की ओर से कोई स्थगन या मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाद में वादी को वाद की कार्यवाही में कोई अपेक्षित रूचि नही रह गयी है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जावे।

दिनांक 19.08.2025

(पीयूष मूलचंदानी)

प्रथम सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
कासगंज।
JO CODE U.P. 3488